कृषि निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

पत्रांकः–कृ0नि0/ 8477 /स्था0अनु0–1/ज्ये0सूची/अधी0कृ0से0 वर्ग–1/2016–17/दिनांक 10-01-2017

समस्त कार्यालयाध्यक्ष,
कृषि विभाग (उत्तराखण्ड)।

निदेशालय के पत्रॉक कृ0नि0–6774/स्था0/वर्ग–1/ज्ये0सू0/2014–15/दिनॉक 27 दिसम्बर, 2014 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, विकास शाखा (अराजपत्रित) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 प्रसारित की गई है। कतिपय कार्मिकों द्वारा सन्दर्भित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के क्रम में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये है। निदेशालय स्तर पर गठित प्रत्यावेदन निस्तारण समिति द्वारा दिनॉक 27.07.2015 की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार प्राप्त प्रत्यावेदनों का सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रकार निस्तारण किया जाता है तथा ऐसे कार्मिक जिनका ज्येष्ठता में नाम अंकित नहीं है, उन्हें ज्येष्ठता क्रमॉक अंकित किया जाता है। सूची प्रख्यापन तिथि तक पदोन्नत/नियुक्त सभी कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए पुनः अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 प्रसारित की जा रही है। इस अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 को विभागीय बेबसाइट www.agriculture.uk.gov.in पर भी प्रकाशित कर दिया गया है।

क्र0 सं0	आपत्ति करने वाले कर्मचारी एवं कार्यालय का नाम	प्रत्यावेदन का विवरण	प्रस्तावेदन निस्तारण का विवरण
1	श्री गंगा सागर दुर्गापाल, सेवानिवृत्त वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय, नैनीताल।	प्रत्यावेदन दिनॉक 12–01–15 के द्वारा ज्येष्ठता नियमावली 2002 के अनुसार पोषक संवर्ग से ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	निदेशालय के पत्रॉक 6774/दिनॉक 27–12–14 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1, की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4, वर्ग–1 में योगदान तिथि से तैयार की गयी है। उत्तरांचल शासन कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्याः–195/कार्मिकः–2/2002/देहरादून/दिनांक 13.08.2002 में सरकारी सेवक की ज्येष्ठता का निर्धारण किया गया है। पैरा 08(1) में जहॉ सरकारी नियमावली के अनुसार "नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं। पैरा 08 (1) एवं 08(2) के उपनियम (ख) के अनुसार श्री दुर्गापाल का प्रत्यावेदन निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है।
2	श्री चन्द्रशेखर जोशी, वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय, नैनीताल।	प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग से ज्येष्ठता सूची (भाग–4) में वरिष्ठता के आधार पर नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	उक्तानुसार क्रमॉक 01 पर अंकित श्री गंगासागर दुर्गापाल के प्रत्यावेदन के अनुसार ही श्री जोशी का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।
3	श्री दिवाकरदत्त पुरोहित, सेवानिवृत्त वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय, कर्णप्रयाग।	प्रत्यावेदन दिनांक 27.01.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग एवं वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	निदेशालय के पत्रॉक 6942/दिनॉक 1.12.2010 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2, की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–1, वर्ग–2 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से तैयार की गयी है। जिसमें श्री पुरोहित की ज्येष्ठता क्रमॉक 83 पर अंकित है।

(क्रमशः–2)

3			साथ ही क्रमशः क्रमॉक 107,108,109, 110,111,117,128,131,133,134,135,169 एवं 171 पर अंकित श्री मदनलाल, श्री यशपालसिंह, श्री गिरीशचन्द्र डंगियाल, श्री दयाकृष्ण आर्य, श्री जगदीश चन्द्र, श्री रमेश प्रसाद, श्री धीरजसिंह, श्री अनिल कुमार राम, श्री आशाराम, श्री भगवानदास, श्री सुधरसिंह, श्री धर्मपालसिंह एवं श्री ईश्वरी सभी कार्मिक अनुसूचित जाति के कार्मिक है, जिनकी रोस्टर के अनुसार वर्ग–1 में मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनॉक 08.12.2010 है तथा श्री पुरोहित की वर्ग–1 में मौलिक नियुक्ति की तिथि 07.11.2012 है। निदेशालय के पत्रॉक 952/दिनॉक 26.05.14 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 की भाग–3 अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी। ज्येष्ठता नियमावली के पैरा 08(1) में जहॉ सरकारी सेवक नियमावली के अनुसार "नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायें तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं। पैरा 08 (1) एवं 08(2) के उपनियम (ख) के अनुसार श्री पुरोहित का प्रत्यावेदन निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है।
4	श्री कान्ती प्रसाद नौटियाल सेवानिवृत्त वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय, देहरादून	प्रत्यावेदन दिनांक 15.02.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग एवं वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	उक्तानुसार क्रमॉक 03 पर अंकित श्री दिवाकर दत्त पुरोहित के प्रत्यावेदन अनुसार ही श्री नौटियाल का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।
5	श्री नन्दकिशोर पुरोहित, सेवानिवृत्त वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय, देहरादून।	प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2015 के द्वारा अपनी जन्मतिथि 27–08–1956 के स्थान पर 27–04–1956,शैक्षिक योग्यता बी0ए0(कृ0डि0) अंकित करने एवं पोषक संवर्ग वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	श्री पुरोहित द्वारा अपनी जन्मतिथि 27–08–1956 के स्थान पर 27–04–1956 एवं शैक्षिक योग्यता बी0ए0(कृषि डिप्लोमा) अंकित करने हेतु अनुरोध किया है। स्थापना प्रतिवेदनों के आधार पर श्री पुरोहित की जन्मतिथि 27.04.1956 अंकित की जाती है एवं शैक्षिक योग्यता का प्रमाण–पत्र प्राप्त न होने के कारण शैक्षिक योग्यता यथावत् रखते हेतु प्रकरण निस्तारित किया जाता है। ज्येष्ठता के सम्बन्ध में उक्तानुसार क्रमॉक 03 पर अंकित श्री दिवाकर दत्त पुरोहित के प्रत्यावेदन अनुसार ही श्री नन्दकिशोर पुरोहित का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।

(क्रमशः–3)

6	डा0अनिल कुमार शुक्ल, वर्ग–1 कृषि निदेशालय देहरादून।	प्रत्यावेदन दिनॉक 15–01–2015 के द्वारा पोषक संवर्ग एवं वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	निदेशालय के पत्रॉक 6942/दिनॉक 1.12.2010 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–2, की अन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–1, वर्ग–2 में मौलिक नियुक्ति की तिथि से तैयार की गयी है। जिसमें श्री शुक्ल की ज्येष्ठता क्रमॉक 114 पर अंकित है, साथ ही क्रमशः क्रमॉक 117,128,131, 132,133,134 एवं 135 पर अंकित श्री रमेश प्रसाद, श्री धीरजसिंह, श्री अनिल कुमार राम, श्री राम कुमार दोहरे, श्री भगवान दास एवं श्री सुधर सिंह सभी कार्मिक अनुसूचित जाति के कार्मिक है, जिनकी रोस्टर के अनुसार वर्ग–1 में मौलिक नियुक्ति की तिथि दिनॉक 08.12.2010 है तथा श्री शुक्ल की वर्ग–1 में मौलिक नियुक्ति की तिथि 07.11.2012 है। निदेशालय के पत्रॉक 952/दिनॉक 26.05.14 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग–1 की भाग–3 अन्तिम ज्येष्ठता सूची प्रसारित की गयी, जिसमें ज्येष्ठता के आधार पर श्री शुक्ल का नाम अंकन नहीं किया जा सकता है। पैरा 08(1) में जहॉ सरकारी नियमावली के अनुसार "नियुक्तियॉ पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से की जानी हों वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता उनकी मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से निम्नलिखित उप नियमों के उपबन्धों के अधीन अवधारित की जायेगी और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जाये तो उस क्रम में अवधारित की जायेगी जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हैं। पैरा 08 (1) एवं 08(2) के उपनियम (ख) के अनुसार श्री शुक्ल का प्रत्यावेदन निराधार होने के कारण निरस्त किया जाता है।
7	डा0अवधेश कुमार वर्ग–1 कृषि निदेशालय देहरादून।	प्रत्यावेदन दिनांक 15.01.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग एवं वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	उक्तानुसार क्रमॉक 06 पर अंकित श्री अनिल कुमार शुक्ल के प्रत्यावेदन अनुसार ही श्री कुमार का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।
8	श्री सन्तोष कुमार, वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय नैनीताल	प्रत्यावेदन दिनांक 08.01.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग से ज्येष्ठता सूची में नाम अंकित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है	निदेशालय के पत्रॉक 2360/दिनॉक 03.07.2013 के द्वारा अधीनस्थ कृषि सेवा, वर्ग–2 (विकास शाखा) की प्रसारित अन्तिम ज्येष्ठता सूची (भाग–1) में क्रमॉक 124 पर श्री कुमार का नाम अंकित है, क्रमॉक 123 पर श्री राजवीर सिंह का नाम श्री कुमार के नाम से पहले तथा क्रमॉक 125 पर श्री कृष्णपालसिंह का नाम श्री कुमार के नाम के बाद अंकित है, इसी आधार पर वर्ग–1 (विकास शाखा) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग–4 में श्री कुमार का नाम क्रमॉक 125 पर अंकित किया गया है, जो क्रमॉक 124 पर श्री राजवीर सिंह का नाम के बाद एवं क्रमॉक 126 पर श्री कृष्णपालसिंह का नाम से पहले अंकित है। श्री कुमार के नाम का अंकन कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(क्रमशः–4)

9	श्री संजय कुमार सिंह, वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय रूद्रपुर	प्रत्यावेदन दिनांक 13.01.2015 के द्वारा पोषक संवर्ग एवं वर्ग–2 की ज्येष्ठता सूची भाग–1 में वरिष्ठता के आधार पर अपना नाम सम्मिलित करने सम्बन्धी प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	उक्तानुसार क्रमॉक 09 पर अंकित श्री अनिल कुमार शुक्ल के प्रत्यावेदन अनुसार ही श्री कुमार का प्रत्यावेदन निरस्त किया जाता है।
10	श्री विनोद कुमार वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय पिथौरागढ़	प्रत्यावेदन दिनांक 09.01.2015 के द्वारा अवगत कराया है, कि नाम विनोद कुमार के स्थान पर विनोद कुमार जोशी एवं जन्मतिथि 05.01.1966 के स्थान पर 05.01.1968 अंकित किया जाय।	सेवा पुस्तिका (प्रपत्र संख्या–10) की छाया–प्रति एवं हाईस्कूल अंकतालिका के अनुसार प्रार्थी का नाम श्री विनोद कुमार जोशी एवं जन्मतिथि 05.01.1968 अंकित कर प्रकरण का निस्तारण किया जाता है।
11	श्री हरिनन्दन गहतोडी वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय चम्पावत	प्रत्यावेदन दिनॉक 12.01.15 के द्वारा अवगत कराया है, कि पिता का नाम श्री टीकाराम गहतोडी, अंकित करने एवं क्रमॉक 90 पर अंकित श्री दलीप सिंह जलाल की राजकीय सेवा में आने की तिथि 08.02.1975 सही अंकन करने हेतु अनुरोध किया है।	क्रमॉक 111 पर अंकित श्री गहतोडी की सेवा पुस्तिका के (फार्म सं0–13) के आधार पर उनके पिता का नाम श्री टीकाराम गहतोडी अंकित किया जाता है। साथ क्रमॉक 90 पर अंकित श्री दलीप सिंह जलाल की राजकीय सेवा में आने की तिथि संशोधित/सही नहीं की जा सकती है, च्यूँकि इस हेतु सम्बन्धित का आवेदन प्राप्त नहीं है और ना ही श्री गहतोडी द्वारा उक्त के सम्बन्ध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है।
12	श्री ध्यान सिंह रावत सेवानिवृत्त वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय चम्बा	प्रत्यावेदन दिनांक 30.01.15 के द्वारा जन्मतिथि 27.11.1956 के स्थान पर 23.11.1956 करने एवं शैक्षिक योग्यता इण्टर कृषि डिप्लोमा के स्थान पर हाईस्कूल कृषि डिप्लोमा अंकित करने हेतु अनुरोध किया है।	श्री रावत द्वारा प्रदत्त हाईस्कूल प्रमाण–पत्र दिनॉक 27.06.1972 के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल (कृ0डि0) एवं जन्मतिथि 23.11. 1956 अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
13	कु0पूजा सामंत वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय पिथौरागढ़	प्रत्यावेदन के द्वारा अपनी जन्मतिथि 21.02.1981 के स्थान पर 21.02.1989 अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	कु0पूजा सामंत द्वारा प्रदत्त हाईस्कूल प्रमाण–पत्र दिनॉक 24.05.2003 के आधार पर उनकी जन्मतिथि 21.02.1989 अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
14	श्रीमती नलिनी सिंह वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय टिहरी	प्रत्यावेदन दिनांक 16.01.2015 के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी.(ए.जी.) के स्थान पर एम.एस.सी.(ए.जी.),पी.एच.डी. अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	श्रीमती नलिनी सिंह द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र दिनॉक 20.05.2011 के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी.पी.एच.डी. (उद्यान विज्ञान) अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
15	कु0 गीता कौर वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय उधमसिंहनगर	प्रत्यावेदन दिनांक 06.01.2015 के द्वारा पिता का नाम संतोख कुमार के स्थान पर सन्तोख सिंह अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	विकास शाखा (भाग–4) के क्रमॉक 73 पर अंकित कु0गीता कौर के पिता का नाम संतोख कुमार के स्थान पर सन्तोख सिंह अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
16	श्री शशी कमल वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय उधमसिंहनगर	प्रत्यावेदन दिनांक 24.01.15 के द्वारा नाम के आगे कु0 के स्थान पर श्री अंकित करने एवं एम.एस.सी. (ए.जी.) के स्थान पर एम.एस.सी.(ए.जी.) पी.एच.डी. अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	विकास शाखा (भाग–4) के क्रमॉक 02 पर अंकित श्री शशि कमल के नाम के आगे कु0 के स्थान पर श्री अंकित करते हुये उनके द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र दिनॉक 21.04.2007 के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी.पी.एच.डी. (सब्जी विज्ञान) अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
17	श्रीमती हिमानी शर्मा वर्ग–1 मु0कृ0अ0 कार्यालय उधमसिंहनगर	प्रत्यावेदन दिनांक 19.01.15 के द्वारा जन्मतिथि 07.01. के स्थान पर 07.01.1985 अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र दिनॉक 03–06–2000 के आधार पर श्रीमती हिमानी शर्मा की जन्मतिथि 07.01.1985 अंकन कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

(क्रमशः–5)

18	श्री मनोज कुमार वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय चम्बा	प्रत्यावेदन दिनांक 19.01.2015 के द्वारा राजकीय सेवा में आने की तिथि 01.05.12 के स्थान पर 30.04.12 अंकित करने हेतु अनुरोध किया है।	मुख्य कृषि अधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या–241/दिनॉक 01–05–2012 की छाया–प्रति के क्रम में श्री मनोज कुमार की राजकीय सेवा में आने की तिथि 30.04.12 अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
19	कु0 गीतान्जलि बंगारी वर्ग–1 कृ0एवं भू0सं0अ0 कार्यालय काशीपुर	प्रत्यावेदन दिनांक 25.01.2015 के द्वारा राजकीय सेवा में आने की तिथि रिक्त के स्थान पर 25.05.12 अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	मुख्य कृषि अधिकारी, ऊधमसिंह नगर के आदेश संख्या 368/दिनॉक 24.05.2012 की छाया–प्रति के क्रम में कु0 गीतान्जलि बंगारी की राजकीय सेवा में आने की तिथि 25.05.12 अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।
20	श्री आशुतोष बड़थ्वाल वर्ग–1, कृषि निदेशालय	प्रत्यावेदन दिनांक 26.04.2015 के द्वारा अपनी शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी.(ए.जी.) के स्थान पी.एच.डी. एग्रोनॉमी अंकित करने हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया है।	श्री बड़थ्वाल द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र दिनॉक 21.04.2009 के आधार पर उनकी शैक्षिक योग्यता एम.एस.सी.,पी.एच.डी.(एग्रोनॉमी) अंकित कर प्रत्यावेदन का निस्तारण किया जाता है।

अतः आप अपने अधीनस्थ वर्ग–1 (विकास शाखा) के सम्बन्धित कार्मिकों को सलंग्न अनन्तिम ज्येष्ठता सूची, भाग–4 का अनिवार्यतः अवलोकन कराना सुनिश्चित करें, यदि किसी कार्मिक को कोई आपत्ति हो, तो वह अपने कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से अपना प्रत्यावेदन मय साक्ष्यों सहित 15 दिनों के भीतर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियत समयावधि उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। वरिष्ठ वर्ग–2 के कार्मिक, जिनकी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रचलित होने के कारण लिफाफे बन्द रखे गये है, भविष्य में ऐसे कार्मिकों की अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्ति पर नियमानुसार ज्येष्ठता में यथा स्थान नाम अंकित किया जायेगा।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची का अवलोकन कराने के उपरान्त यह प्रमाण पत्र निदेशालय को उपलब्ध करायें, कि अधिष्ठान में कार्यरत वर्ग–1 विकास शाखा, भाग–4 के सभी कार्मिकों को ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करा दिया गया है।

सलंग्न– अनन्तिम ज्येष्ठता सूची,भाग–4 (8पृष्ठ)

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।

पृष्ठॉकन संख्या /उक्त/तद् दिनॉक।

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
2– संयुक्त कृषि निदेशक, कुमॉऊ मण्डल हल्द्वानी।
3– उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण) कृषि निदेशालय देहरादून।
4– उप परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्धन समेकित आजीविका सहयोग परियोजना चम्पावत।
5– उप परियोजना निदेशक, यू0डी0डब्लू0डी0पी0,ग्राम्या फेज–2, अल्मोड़ा प्रभाग अल्मोड़ा।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड।